लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 इमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा ग्राम रिसदा एवं धनधनी, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित क्लिंकराईजेशन क्षमता 1.98 से 3.2 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 30.12.2015 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मे0 इमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा ग्राम रिसदा एवं धनधनी, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित क्लिंकराईजेशन क्षमता 1.98 से 3.2 मिलियन टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। नवभारत, रायपुर तथा टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) दिनॉक 27.11.2015 के समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 30.12.2015 दिन बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से नवनिर्मित शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला क्रीड़ा स्थल (खेल मैदान), ग्राम रिसदा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई।

उद्योग की प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 30.12.2015 को अपर कलेक्टर बलौदाबाजार श्री एम. कल्याणी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, श्री सिंग एस.डी.ओ.पी., उद्योग प्रतिनिधि श्री दर्शन लाल, श्री ए.के. शुक्ला, श्री आर.पी. गोयल तथा मान्नीय विधायक श्री जनक लाल वर्मा, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग पांच सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 11:25 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. उद्योग प्रतिनिधि श्री आर, पी, गोयल ने प्रस्तुतीकरण दिया तथा बताया कि इमामी ग्रुप चौथी सबसे बड़ी सूचीबद्ध भारतीय एफ.एम.सी.जी. कंपनी है। इमामी सीमेंट कंपनी अधिनियम 1956 के तहत् इमामी समूह की एक निगमित ईकाई है। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है, कंपनी की अखिल भारतीय मौजूदगी है और विश्व के 60 देशों में इसकी उपस्थिति है। उक्त परियोजना ग्राम रिसदा एवं धनधनी, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित क्लिंकराईजेशन क्षमता 1.98 मिलियन टन/वर्ष से 3.2 मिलियन टन/वर्ष करने के लिये पहले से प्रस्तावित किल्न की साईज़ क्षमता 6,000 टी.पी.डी. से 9,700 टी.पी.डी. बढ़ाने का प्रस्ताव है।

- पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 और इसके आगामी संशोधनों के अनुसार यह परियोजना श्रेणी–4 क.सं. (3) 3 बी के अंतर्गत आती है। कंपनी ने अक्टूबर 2011 में मौजूदा परियोजना के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की है। प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत सीमेंट उत्पाद अपरिवर्तित रहेगा, केवल क्लिंकर उत्पादन विस्तार के लिये पहले से प्रस्तावित किल्न के आकार को 6,000 टी.पी.डी. से 9,700 टी.पी.डी. किया जायेगा। खदानों की क्षमता में वृद्धि के लिये एक अलग आवेदन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली में किया गया है। प्रस्तावित विस्तार के लिये अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विस्तार मौजूदा परियोजना परिसर में ही किया जायेगा। मौजूदा भूमि का अधिग्रहण ई.सी.एल. द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। श्री गोयल ने पर्यावरणीय स्थिति के विवरण की जानकारी देते हुये बताया कि परियोजना स्थल से सोनबरसा एवं लाटवा संरक्षित वन उत्तर–उत्तर–पूर्व दिशा में तथा ढाबाडीह संरक्षित वन दक्षिण–पश्चिम दिशा में स्थित है तथा 10 कि.मी. त्रिज्या में वन्यजीव अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व, बायोस्फियर रिजर्व, हाथी कॉरिडोर्स आदि नहीं है।
परियोजना के लिये बुनियादी आवश्यकता अंतर्गत वर्तमान में 1822 के.एल.डी. एवं 2219 के. एल.डी. अतिरिक्त अर्थात 4041 के.एल.डी. जल की आवश्यकता बताते हुये केन्द्रीय भू–जल अथॉरिटी से दिनांक 04.03.2014 को अनुमति प्राप्त किये जाने की जानकारी दी गई। जल की आपूर्ति भू–जल, माईन पिट एवं पुनर्चक्रित जल से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षमता वृद्धि हेतु अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता नहीं होगी। श्रम–शक्ति की आवश्यकता अंतर्गत स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिये 64.95 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। श्री गोयल द्वारा परियोजना हेतु बुनियादी आवश्यकता का विवरण, कच्चे माल की आवश्यकता, प्लांट ले–ऑउट, प्रोसेस फ्लो चार्ट तथा परियोजना स्थल पर सूक्ष्म मौसम विज्ञान का विवरण तथा प्लांट परिसर एवं आस–पास के आठ स्थानों पर पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन के संबंध में परिवेशीय वायु गुणवत्ता विश्लेषण, ध्वनि स्तर, जल गुणवत्ता विश्लेषण एवं मृदा गुणवत्ता विश्लेषण के संबंध में जानकारी देते हुये स्लाईड के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु ई.एस.पी., बैग फिल्टर्स आदि वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना की जायेगी एवं नियमित रूप से उचित रख–रखाव किये जाने की जानकारी दी गई। कच्ची सड़कों पर फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पॉवर प्लांट से अपशिष्ट जल का उपचारोपरांत जल छिड़काव हेतु उपयोग किया जायेगा। संयंत्र की आंतरिक सड़कों को पक्का किया जायेगा और सड़कों की नियमित सफाई की जायेगी। कन्वेयर बेल्ट कवर्ड किया जायेगा। क्लिंकर, फ्लाई ऐश तथा सीमेंट को सॉइलो में एकत्रित किया जायेगा तथा स्लैग हेतु कवर्ड शेड की व्यवस्था की जायेगी। पैकिंग मशीन एवं स्क्रीन अनुभाग में धूल निकासी प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। लोडिंग–अनलोडिंग के दौरान जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी.आर.ई.पी. के प्रावधानों के अनुपालन किये जाने की जानकारी दी गई। यूरोपीयन कंट्री के मानकों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने तथा प्लांट पूर्णतः स्वचालित प्रणाली पर आधारित होने की जानकारी दी गई। लाईम स्टोन प्लांट में आने के बाद से समस्त प्रकिया स्वचालित होगी। पॉवर प्लांट से अपशिष्ट जल को ई.टी.पी. में उपचारित किया जाकर इसका उपयोग जल छिड़काव तथा ग्रीन बेल्ट की सिंचाई में किया जायेगा। परियोजना क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली विकसित की जायेगी। कालोनी से उत्पन्न घरेलू अपशिष्ट जल को एस.टी. पी. में उपचारित कर इसका उपयोग धूल दमन के लिए तथा ग्रीन बेल्ट की सिंचाई में किया जायेगा। रूफटॉप हॉर्वेस्टिंग तथा वॉटर कलेक्शन सिस्टम भी प्रस्तावित होने की जानकारी दी गई। छतों से वर्षा जल पाईप के माध्यम से एकत्र किया जाकर टैंक में भंडारित किया जायेगा तथा सतही जल को भी संग्रहित किया जायेगा। ध्वनि स्तर प्रबंधन के संबंध में अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों के लिये आवश्यकतानुसार ध्वनि रोधी कक्ष और

सायलेंसर उपलब्ध कराने, मशीनों का उचित रख–रखाव व हरित पट्टिका/वृक्षारोपण किये जाने व सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में जानकारी दी गई। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में सीमेंट संयंत्र प्रकिया से ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होने व प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से निकलने वाली धूल का पुनः चक्रण करने व सीवेज़ ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज़ को खाद के रूप में उपयोग करने तथा फ्लाई ऐश का भंडारण फ्लाई ऐश हॉपर में किये जाने एवं फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उत्पादन में करने की जानकारी दी गई। जनित स्नेहक तेलों को रिसायक्लर को प्रदाय किये जाने बावत् बताया गया। परियोजना क्षेत्र अर्थात 188.35 हेक्टेयर में से 33 प्रतिशत भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा। उद्योग द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में 99.86 लाख रूपये वर्ष 2014–15 में अनुदान दिये जाने व उद्योग द्वारा ग्रीन बेल्ट विकास के लिये 30 लाख रूपये का व्यय किये जाने की जानकारी दी गई। सी.एस. आर. गतिविधि के अंतर्गत कुल परियोजना लागत रूपये 1831 करोड़ का 5 प्रतिशत जो कि, 91.52 करोड़ होता है, सी.एस.आर. के लिये आबंटित किया गया है। सी.एस.आर. के अंतर्गत सिलाई–कढ़ाई केन्द्र रिसदा, धनधनी, कम्प्युटर प्रशिक्षण कक्षायें, ब्यूटी पार्लर, वृक्षारोपण तथा चिकित्सा प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। इमामी सीमेंट कंपनी द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियॉ पहले से ही चल रही है व भविष्य मे पर्यावरण सविकृति की शर्तो के अनुसार लागू करेगे।

6. अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने जनसामान्य से इस परियोजना से संबंधित अपना विचार रखने, तथा इस संबंध में राय तथा जनसामान्य के लिखित एवं मौखिक सुझाव एवं आपत्ति आंमत्रित की तथा आश्वस्त किया कि जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी हो रही है।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री नंदकुमार साहू, बलौदाबाजार–भाटापारा ने कहा कि मुझे वो दिन भी याद है जब 23–26 फरवरी, 2010 को इमामी सीमेंट की पहली लोक सुनवाई हुई थी। मैं भी उस लोक सुनवाई में उपस्थित था। मेरे विरोध के बावजूद लोक सुनवाई में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं किसी को आहत करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं तो उस पर्यावरण की बात करने आया हूं, जिससे क्षेत्र की जनता प्रभावित हो सकती है। 10 किलोमीटर के कोर जोन, बफर जोन में और भी प्लांट स्थित हैं, प्रस्तावित परियोजना से इस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा ? दायरे में आने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मैं किसान परिवार का लड़का हूं, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिये खड़ा हूं। लोक सुनवाई में उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारी से गुजारिश है कि आस–पास के प्लांट के विस्तार से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है ? प्रस्तावित परियोजना के तहत् सी.एस.आर. से अधिक से अधिक व्यवस्था करें, आस–पास के लोगों को सुविधा मुहैया करायें, स्वास्थ्य व शिक्षा केन्द्र खोले जावें। विरोध करने से लोक सुनवाई नहीं रूकती। मेरा निवेदन है कि गरीब परिवार को रोजी–रोटी मिलती रहे।

2 श्री उमेंद राम साहू, सरपंच रिसदा ने कहा कि, लोक सुनवाई में सबको बालने का अधिकार है। साहू जी ने जनहित की बात कही है। रिसदा केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश–विदेश में भी चर्चित हो रहा है, जिसका कारण ईमामी संयंत्र है। आस–पास के उद्योगों/ईमामी सीमेंट द्वारा प्रभावित लोगों को मदद की जा रही है, कुछ लोगों को रोजगार भी मिल चुका है। प्रस्तावित परियोजना से बेरोजगारों को भी लाभ मिले, नहर से पानी मिल सके। ईमामी सीमेंट द्वारा कांक्रीटीकरण कराया गया है, स्कूल की भी मरम्मत कराई गई है, लोक सुनवाई स्थल से लगी बस्ती में विद्युत कनेक्शन, पाईपलाईन का विस्तार किया गया है। सी.एस. आर. के अंतर्गत सी.सी. रोड, कम्युनिटी हॉल का निर्माण, वृक्षारोपण कराया जावे। उनके

द्वारा मांग की गई कि ग्राम रिसदा द्वारा जो जमीन दी गई है उसका रिकार्ड दुरूस्तीकरण कराया जावे।

3 श्री जनक राम वर्मा, मान्नीय विधायक बलौदाबाजार ने कहा कि यह मंच जनसुनवाई के माध्यम से जनता की बात सुनने के लिये है। किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिये। उन्होने कहा कि कल हम लोगों ने अंबुजा सीमेंट के विरूद्ध आवेदन दिये हैं, पॉवर प्लांट से होने वाले प्रदूषण को भी देखें। उद्योग लगे पर विकास होना चाहिये, रोजगार मिलना चाहिये। उन्होने कहा कि जमीन हमारी लेते हैं, और रोजगार बाहरी लोगों को दिया जाता है। प्रभावित किसानों के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिये। किसानों का अहित नहीं होना चाहिये। अंबुजा सीमेंट में कोई व्यवस्था नहीं है। बी.बी.सी. नहर तोड़ दिया गया है। कंपनी चलाना है, तो गांव की व्यवस्था, आस–पास की व्यवस्था होनी चाहिये, अन्यथा कंपनी नहीं चलेगी। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिये। पर्यावरण को भी देखना होगा। बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास होना चाहिये। अपर कलेक्टर से आग्रह है कि कंपनी को हिदायत दें कि रोजगार, विकास आदि हेतु प्रयास किया जावे। अभी जो असंतोष है, उसके संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं सबको आपस में मिलकर निर्णय लेना चाहिये।

4 श्री राकेश वैष्णव, ग्राम रिसदा ने कहा कि, आज हम सभी लोक सुनवाई के लिये एकत्र हुयें हैं, सबसे पहले मोदी सीमेंट द्वारा किसानों की जमीन अनाप–शनाप मूल्य में ली गई थी, उसके पश्चात क्षेत्र में टाटा सीमेंट आया। फिर ईमामी और श्री सीमेंट आये, तब तक लोग जागरूक हो गये थे, जिससे रोजगार तथा पर्याप्त मुआवजा मिला, पुनर्वास निति का पालन किया गया, ईमामी सीमेंट भी पालन कर रही है। उन्होने कहा कि सी.एस.आर. को सेन्ट्रलाईज़ कर कलेक्टर के पास जमा कराया जाता है, जिससे विकास की बात करने पर उद्योग वाले अपने दायित्व से मुकर जाते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। सी.एस.आर. का पैसा जमा करने के बजाय, सरपंच, गांव के माध्यम से ही योजना स्थल पर व्यय किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। उन्होने मांग की कि, आई.टी.आई. में कौशल विकास हेतु इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच की व्यवस्था करें, प्रायोजित करें, जिससे रोजगार मिल सके। रिसदा का विकास हो रहा है, लेकिन यहां पानी की कमी है, ईमामी सीमेंट से आग्रह है कि पानी के लिये ओवरहेड टैंक की व्यवस्था करें। यहां कि जनता ने हमेशा मदद की है, अतः लोगों को रोजी–रोटी मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करें।

5 श्री सुरेन्द्र शर्मा, बलौदाबाजार ने कहा कि "बहरों की अदालत है, गूंगों की गवाही है, अन्याय ही अन्याय है।" उन्होने कहा कि, "कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता, तो जंगलों के कटने का रस्ता न होता।" उद्योग के लिये पानी कहां से लायेंगे ? कैंटीन में भी जिन लोगों को रखा गया है, वे अंग्रेजी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी नहीं जानते, क्या गांव के लड़के काम नहीं कर सकते ? क्या यहां के लड़के सुरक्षा गार्ड भी नहीं बन सकते ? हम विरोधी नहीं हैं, उत्पादन के साथ–साथ विकास भी होना चाहिये, परदे के पीछे का विरोध नहीं होना चाहिये। किसान के बच्चे हैं, 15–25 लाख के लिये गलत काम नहीं करेंगे। अपर कलेक्टर के माध्यम से निवेदन है कि, हमारी जमीन ले ली गई, किसान के बच्चे हैं, कोई दूसरा काम भी नहीं कर सके, हमारी जमीन भी खत्म हो गई, लेकिन ग्रासिम, अंबुजा ने बच्चों की पढ़ाई तक का इंतजाम नहीं किया। हमारे लिये न स्कूल में जगह, न उद्योग में जगह, और न ही दिल में जगह। चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था की जावे।

6 श्री कृष्णा अवस्थी, ग्राम रिसदा ने कहा कि रिसदा की पावन, पवित्र धरती को प्रणाम है। रिसदा को विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है। यहां की धरती में प्रचुर मात्रा में सीमेंट उत्पादन की क्षमता है। यहां विश्व के लोग आकर अध्ययन करें कि, उच्च कोटि के सीमेंट का निर्माण

कैसे किया जावे ? हरियर छत्तीसगढ़ हमारे मुखिया की सोच है, इसमें सहभागी बनना चाहिये। नियमों का, मानकों का अक्षरशः पालन हो। क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में लाईम स्टोन है, क्षेत्र की जनता, नौजवान साथियों की अपेक्षा भी पूरी करो। सर्वे भवन्तु सुखिनाः का भाव होना चाहिये।

7 श्री संदीप पांडे, बलौदाबाजार ने कहा कि यह जनसुनवाई इसलिये है कि, विस्तार हो रहा है, होना चाहिये अथवा नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है कि, पहले से पुलिस आ गई है, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, यह शोध का विषय है, यहां नास्ता, खाना की व्यवस्था है, शायद संविधान में इसका प्रावधान हो, इसके लिये संविधान को धन्यवाद। सरपंच ने बताया है कि, 17 एकड़ भूमि का मामला हो जायेगा, बोरिंग, बिजली लाईन का काम हुआ है, यहां सीमेंट ईकाईयां फेल हो चुकी हैं। यह जनसुनवाई केवल पर्यावरण के संबंध में है, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, दिल्ली में केवल पर्यावरण संबंधी आपत्ति ही देखी जाती है, आपत्ति छः प्रतियों में देना पड़ता है, पहली बार पता चला कि महानदी मौसमी नदी है, जंगल परियोजना क्षेत्र से 1/2 किलोमीटर दूर है, जबकि जंगल चार हाथ पर है, उद्योग वाले कंबल बांटते हैं तो पचासों पेपर में छपवाते हैं, जबकि लोक सुनवाई की खबर टाईम्स ऑफ इंडिया और नवभारत में छपवायें हैं। अभी बता रहें हैं कि बहुत विकास हो रहा है, जिनका विकास हो रहा है, उनको शुभकामनायें। 100 मीटर से कम दूरी पर जंगल है, परियोजना से पर्यावरण एवं जंगल को नुकसान होगा, अतः पर्यावरणीय अनापत्ति नहीं होनी चाहिये।

8 श्री परमेश्वर यदु, बलौदाबाजार ने कहा कि पर्यावरण की सुनवाई होती है, यह ईमामी का पहला अवसर नहीं है, जहां उद्योग लगे हैं वहां इसी तरह मतमतांतर की बाते होती हैं, हमें सभी पहलुओं पर सोचना चाहिये, यह तकनिकी मामला है, सब ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ निगेटिव नहीं सोचना हैं, ईमामी प्रोसेस में है, धीरे–धीरे काम हो रहा है, ईमामी के उद्योग में किसी को कांटा नहीं लगा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ईमामी में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। बहुत से रास्ते तय होना है, दो मुद्दे नजर में आ रहे हैं, पहला लैंड लूज़र को रोजगार तथा दूसरा बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिये, सिर्फ इंकलाब की बात न सोंचे, मुद्दे से नहीं हटना चाहिये, उद्योग के विस्तार को समर्थन है।

9 श्री पप्पू मानिकपुरी, सरपंच ग्राम पंचायत धनधनी ने कहा कि ग्राम पंचायत धनधनी को कोई आपत्ति नहीं है, क्षमता विस्तार का कार्य पूर्ण हो, लैंड लूजर और योग्यता रखने वाले बाहरी लोगों को भी नौकरी मिले, सभी एकजुट होकर ईमामी के समक्ष नौकरी की बात करें, जिसने आई.टी.आई. नहीं किया है लेकिन अपनी जमीन दी है उसे भी प्लांट में नौकरी मिले, धनधनी, कुकुरदी, रिसदा के साथियों को रोजगार मिले, ग्राम पंचायत धनधनी की तरफ से बधाई, प्लांट लगे।

10 डॉ0 कुशल वर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम रिसदा ने कहा कि पर्यावरण के संबंध में जन सुनवाई है, पर्यावरण के संबंध में लोक सुनवाई पहले भी हो चुकी है, मैं कंपनी का विरोधी शुरू से नहीं हूं, गांव के जो किसान प्रभावित हुयें हैं जिनकी बाड़ी उजड़ी है उनकी सूची मैं पूर्व में शासन को दिया हूं, कार्यवाही क्यों नहीं हुई, जो लोग प्रभावित हैं वे देख सकते हैं, पहले व्यवस्था हो ताकि घर–परिवार अच्छे से रहे, 17 एकड़ जमीन जिसे गांव के लिये दिया गया था वह नहीं दी गई अतः जमीन ग्राम पंचायत को सौंपे, प्रभावित किसान ज्यादा पढ़े–लिखे नहीं हैं गरीब हैं, प्रशिक्षण की विशेष योजना बनाई जावे, ताकि उत्पादन आरंभ होने तक योजना अनुसार काम मिल सके, प्रभावित क्षेत्र के किसानों के बच्चों को रोजगार, प्रशिक्षण की व्यवस्था, दो वक्त की रोजीरोटी मिल सके, ऐसी व्यवस्था हमेशा बनाये रखें।

11 श्री गंभीर सिंह ठाकुर, बलौदाबाजार ने कहा कि मेरी दो आपत्तियां हैं, प्रथम यूनिट का काम आज तक चल रहा है, सेकंड यूनिट का काम 10 साल तक चलेगा, 10 साल बाद के रेट के हिसाब से मुआवजा दें। अंबुजा सीमेंट द्वारा मल्दी खार की जमीन का पुराना रेट लगाया है, आज भी काम पूरा नहीं हुआ है। ढाबाडीह जंगल 10 फीट की दूरी पर है, सालों पुराना जंगल हैं, ब्लॉस्टिंग से जानवरों को नुकसान होगा।

12 श्री डेविड खुंटे, ग्राम रिसदा ने कहा कि सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिये, ईमामी सीमेंट में काम में नहीं रखते, कंपनी के दलाल गांव को बिगाड़ रहें हैं, रिसदा में शराब बिक रही है, पंच सरपंच को कोई आपत्ति नहीं है। सबको नौकरी मिलनी चाहिये, रिसदा में इंजीनियर हैं, पढ़े–लिखें लोग हैं, कंपनी में काम मांगने जाते हैं तो कंपनी वाले कहते हैं कि यहां कोई काम नहीं है।

13 श्री नरेन्द्र मिश्रा, पूर्व विधायक बलौदाबाजार ने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी 87 एकड़ भूमि के किसानों को अंतर की राशि आज तक नहीं मिली है। मुख्यमंत्री/ जनप्रतिनिधियों को आश्वासन देने के बाद जब कंपनी वाले भूल जाते हैं, तो आम आदमी का क्या होगा। पुनर्वास राशि नहीं मिली है, जबकि हम फाउंडर मेंबर हैं। पर्यावरण की बात करते हैं, वृक्षारोपण नहीं हुआ है। सीमेंट प्लांट खड़ा हो गया है, एक भी पेड़ खड़ा नहीं हुआ है। 10 साल से फैक्ट्री लगा रहे हैं, 2006 में प्रकाशित होने के बाद अभी तक काम चल रहा है, जमीन ही खरीद रहे हैं। खेतों में जाने के लिये रास्ता नहीं है। निस्तारी भूमि, गोठान के लिये रास्ता नहीं है। नहर के रास्ते में गेट लगा दिया गया है। पिछले साल हमारे लिये पानी नहीं था। गांव में बच्चों के खेलने का 6 एकड़ का मैदान सन् 1987 से सुरक्षित था, खेल मैदान समतल नहीं हुआ है। उद्योग द्वारा 2000–3000 लोगों को रोजगार दिया गया है, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, यहां एक भी शौचालय, पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। कंपनी 1000 एकड़ जमीन की मालिक है, बाईपास रोड तक की व्यवस्था नहीं है। राजस्व रिकार्ड में साजिश कर खसरा नंबर 105 की 40 डिसमिल जमीन पर कब्जा किया गया है। खेल मैदान, नहर के लिये झूठ बोला गया है। चित्तावर का पानी समाप्त कर दिया है। हमारी जमीन पर कब्जा किया गया, हमको न्याय नहीं मिला। आपने मुख्यमंत्री जी से झूठ बोला, नहर पानी के बारे में झूठ बोला, आप गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसान के बच्चों को रोजगार नहीं है। सोसायटी बनाकर काम दिजिये, ली गई जमीन के प्रतिशत के हिसाब से सदस्यता दिजिये। भांठा जमीन पर कब्जा कर लिये हैं, इस जमीन के बदले में हमको क्या दिये ? विस्तार जिस समय किया जावे उसी समय जमीन ली जावे, हमारी जमीन हमारे बच्चों की संपत्ति है, बच्चों का अधिकार आपको कैसे दें। बच्चों का हक क्यों मारें। बहुत से सीमेंट प्लांट बिक गये, आप भी अंदर से पैसे लेकर बेच देंगें, हमें क्या मिला।

14 श्री परमानंद ध्रुव ने कहा कि, पहले हमारे गांव का मैदान रिसदा खेल मैदान कहलाता था, आज वही मैदान, रिसदा खदान कहलाता है। जमीन खरीदे हैं, तो वापस भी कर सकते हैं। गांव के घरों में 2–3 गायें हैं, गौमाता के लिये चारागाह तक नहीं है। गाय पालने लायक जमीन नहीं बची है। इंदिरा आवास हेतु पट्टा नहीं मिला है। 17 एकड़ सुनते–सुनते कान पक गये, 17 एकड़ क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। कंपनी वाले जो जमीन बची है, उसे छोड़ने का प्रयास करें। ईमामी सीमेंट वालों से निवेदन है कि भांठा जमीन को छोड़ दें।

15 श्री गंगादास मधुकर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है। रिसदा भूमि का वंदन है, तत्पश्चात पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण जन–जीवन, विचारधारा से संबंधित प्रेरणा गीत प्रस्तुत किया गया।

16 उपस्थित जनसामान्य में से एक वक्ता ने कहा कि, क्षमता विस्तार की लोक सुनवाई है। कोई आपत्ति नहीं है। यदि निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन नहीं होगा, तो दुख होगा। अगर ईमामी सीमेंट द्वारा दिशा–निर्देशों के पालन की पहल की जाती है, तो यह पहला सीमेंट प्लांट होगा। ईमामी सीमेंट से निवेदन है कि, यदि रोजगार के लिये योग्यता नहीं है, तो योग्यता हेतु कौशल का विकास करें, योग्यता का विकास करें। सबको नौकरी संभव नहीं है, किंतु अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। 183 लोगों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है, ब्यूटी पार्लर की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हुनर विकसित हो रहा है।

तत्पश्चात अपर कलेक्टर महोदय ने आपत्तियों के निराकरण हेतु उद्योग प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।

प्लांट हेड श्री दर्शन लाल ने बताया कि कुल 82 लैंड सेलर्स में 35 लैंड सेलर्स को रोजगार दिया जा चुका है, शेष लैंड सेलर्स को योग्यतानुरूप स्थायी व अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने बताया कि उद्योग अभी चालू नहीं हुआ है, वर्तमान में स्थापना कार्य हेतु नियोजित कुल 3000 में से 1576 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उद्योग में कार्यरत 182 कम्पनी स्टाफ में से 62 कम्पनी स्टाफ स्थानीय है। 75.363 हेक्टेयर भूमि शासन द्वारा 99 साल के लिये लीज़ पर दी गई है, जिसमें 17 एकड़ भूमि मे गोठान, स्कूल, इंदिरा आवास योजना थे इस 17 एकड़ भूमि के एवज मे इमामी सीमेंट कंपनी ने ग्राम पंचायत रिसदा की अनुमति से ग्राम रिसदा मे ही निजी कृषक भूमि खरीद कर उक्त भूमि पर नया गोठान, स्कूल, इंदिरा आवास योजना के अधिकृत परिवारो को पुर्नस्थापित किया गया है जिसकी सूचना राजस्व विभाग बलौदाबाजार को 2012 मे दी जा चुकी है तथा रिवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करने बावत् कंपनी ने शासन से निवेदन किया है। उन्होने बताया कि समस्त उपकरण यूरोपीयन मानकों के अनुरूप हैं तथा 30 मि.ग्राम/सामान्य घनमीटर उत्सर्जन सीमा के अनुरुप डिजाइन किया गया है। जिससे कि 50 मि. ग्राम/सामान्य घनमीटर का मानक प्राप्त किया जा सके। इमामी सीमेंट कंपनी द्वारा रिसदा के भरत साहू, पवन वर्मा, हेमन लाल, नंद कुमार, मलिक राम आदि बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया है।

अंत मे अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने मे0 ईमामी सीमेंट के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि योग्यतानुरूप स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जावे, बकाया राशि भुगतान का समाधान करें, प्रभावित लोगों का अधिकतम कल्याण करें, प्रशासन के लोग भी सहयोग करेंगे, मुआवजा राशि का भुगतान करें। तत्पश्चात जन सुनवाई की कार्यवाही समाप्त हुई।

यह लोक सुनवाई प्रातः लगभग 11:25 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 01:45 बजे संपन्न हुई। लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान तथा लोक सुनवाई के पश्चात कुल 16 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(एम. कल्याणी)
अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार–भाटापारा
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)